

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 188/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी - कॉर्पोरेशन
प्लॉट नं. 88, गली नं. 3 के
पास लव नार्दन रोड, भीलवाड़ा।

बनाम

1. मैसर्स बालाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स
प्रोपराईटर श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दान
सिंह जाट, लुहारिया रोड, भगवानपुरा,
तहसील जिला भीलवाड़ा
2. श्री हरि सिंह पुत्र श्री बग्गा राम, वार्ड नं.
2, भिखनवासी, सीकर।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी- श्री धर्मीचन्द जैन,

निर्णय

दिनांक : 14-11-2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री धर्मीचन्द जैन, कॉर्पोरेशन बैंक, प्लॉट नं. 88, गली नं. 3 के पास, लव नार्दन रोड, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 52,18,000/- रुपये का ऋण दिनांक 07.10.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के फटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति -औद्योगिक परिवर्तित भूमि एवं भवन आराजी नं. 4509 रकबा 0.01 बीघा, आराजी नं. 4510/2 रकबा 0.12 बीघा, आराजी नं. 4511 रकबा 0.13, कुल किता 3 रकबा 1.06 बीघा= 3288 वर्गमीटर, गांव भगवानपुरा, तहसील न्यायिक जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो कि श्री बलवीर सिंह पुत्र दान सिंह जाट के नाम से है। जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 22.07.2019 तक कुल बकाया ऋण की राशि 43,84,892/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी को नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के रूप में दिनांक 05.01.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा गया ऋण का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार प्राधिकृत/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी के है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी ने रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईने एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों के अन्तर्गत कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय के अन्तर्गत आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय को निम्नलिखित जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तदनुसार दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



21/11/19
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर ए
जिला मजिस्ट्रेट, भील
जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

